VATSALYA

महिलाओं और लड़कियों से संबंधित कानून

वर्ष २०२३

दिशा निर्देशन : डा0 नीलम सिंह

डिजाइन और लेखन : अँचल गुप्ता (अधिवक्ता)
डॉ. वर्षा सिंह

संकल्पना : वात्सल्य
वर्ष : **2023**

इस किताब के किसी अंश, सारांश, वाक्य या उद्धरण अथवा अनुवाद या इसका वितरण व प्रकाशन किसी भी व्यक्तिके द्वारा वात्सल्य को संदर्भित करते हुए किया जा सकता है।

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुसार महिलाएं हमारे देश की कानूनी नागरिक हैं और उन्हे पुरुषों की तुलना में समान अधिकार प्राप्त हैं। अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत एक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। हमारे संविधान ने हमे जो अधिकार और अवसर दिए हैं उन्हे भी प्रमुखता मिल रही है, महिलाएं भी मेहनत कर रही हैं और अपने करियर को लेकर गंभीर हैं। ऐसे में महिलाओं को भारतीय कानून द्वारा दिए गए अधिकारो के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता हैं वे अपने कानूनी अधिकार ,समाज में अपनी स्थिति और अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में आज भी जागरूक नही हैं। महिलाओं के साथ बढ़ते हुए हिंसा और अपराध को रोकने के लिए समुदाय में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। हमारा उद्देश्य है कि महिलाएं हिंसा और भेदभाव से मुक्त वातावरण में गरिमा के साथ रहें तथा विकास में पुरुषो के समान भागीदारी निभाएं, जिसके लिए उन्हें अपने कानून के बारे में जानना बहुत जरूरी है। 18 से 49 वर्ष के बीच की 29.3 प्रतिशत विवाहित भारतीय महिलाऐं घरेलू/यौन हिंसा से पीड़ित हैं, 18 से 49 वर्ष की 3.1 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा है। यूपी में कम उम्र की लड़कियों की शादी की दर 2015-16 में 21.1 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 15.8 प्रतिशत हो गई है, किन्तु यह गिरावट काफी नहीं है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सन 2022 में लगभग 6900 महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा के मामले दर्ज कराए गए हैं किसी भी देश या राज्य द्वारा निर्मित और लागू किये जाने वाले नियमों को ही कानून कहते हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न अधिनियमों को बनाया है। महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में न सिर्फ महिलाओं में बल्कि समुदाय के हितग्राहियों में भी जानकारी का आभाव है । यह पुस्तिका वात्सल्य टीम द्वारा इस उदेश्य के साथ बनाई गई है कि न सिर्फ बालिकाएँ एवं महिलाएं अपितु समुदाए के अन्य हितगामी जैसे माता–पिता, किशोर, ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ता भी इन महिलाओं से संबंधित कानूनों पर अपनी समझ बना सके जिससे महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव, अनाचार एवं हिंसा को रोका जा सके एवं इन कानूनों का उनकी मंशा के अनुसार उपयोग किया जा सके। आशा है कि ये पुस्तिका अपने उद्देश्य की पूर्ति मे एक महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री सिद्ध होगी।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994

(Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994)

इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

अल्ट्रॉसाउन्ड की तकनीक के माध्यम से गर्भ की जांच कर लड़का–लड़की का पता लगाकर हमारे पितृसत्तात्मक समाज मे लड़कियों को गर्भ में खत्म किये जाने की प्रथा शुरू हुई, जिससे देश मे लड़का–लड़की के लिंग अनुपात का संतुलन बिगड़ गया और हमारी जनगणना में जब ये आँकड़े प्रलक्षित हुए तो सरकार ने इस पर एक कठोर कानून बनाया जिसे हम पीसीपीएनडीटी के रूप जानते है, यदि समाज मे लड़का–लड़की का अनुपात बिगड़ जाएगा तो बहुत सारे हिंसा के मामले महिलाओं के खिलाफ बढ़ जाएंगे। इसलिए यह कानून बनाया गया।

1–पीसीपीएनडीटी का कानून क्या है ?

- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम,1994 के अन्तर्गत एक अधिनियम है जिसके अनुसार गर्भ मे मनपसंद लिंग के बच्चे को प्राप्त करने अथवा गर्भ में पल रहे भ्रूण में लड़का–लड़की की जांच गैर कानूनी है।

- जिसके अंतर्गत बच्चे के जन्म से पहले उसकी लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है ।

2–इस अधिनियम की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हैं:

- हर ऐसा केंद्र (अल्ट्रॉसाउन्ड) ,आई वी एफ केंद्र सरकार मे रजिस्टर्ड होना चाहिए ।

- गर्भवती महिला की लिखित सहमति और अधिनियम की धारा 5 के तहत भ्रूण के लिंग की सूचना देने पर रोक लगा देना।

- लिंग निर्धारण पर निषेध बोर्ड लगाकर बड़े पैमाने पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और अल्ट्रॉसाउन्ड केंद्र पर स्थानीय भाषा में ऐसा बोर्ड लगाना जरूरी है कि '' गर्भ में लड़का–लड़की की जाँच करना कानूनी अपराध हैं। ''

3–दंड प्रावधान क्या है ?

इस अधिनियम में गर्भपात करवाने वाले और करने वाले दोनों के लिए ही सजा का प्रावधान किया गया है।

- जिसके तहत लिंग जांच करवाने वाले व्यक्ति को तीन से लेकर पांच साल तक की जेल व पचास हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है– यहां गर्भवती महिला की सहमति थी या नहीं, जब तक यह पता नहीं चल जाता तब तक अदालत यही मानेगी कि महिला घर वालों के दबाव में ऐसा करवा रही है।

- वो चिकित्सक जो लिंग जांच तकनीक का प्रयोग करता है वो तीन से पांच साल तक के कारावास और दस हजार से पचास हजार रुपये तक के आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा।

- कोई भी व्यक्ति जो प्रसव पूर्व गर्भाधान लिंग निर्धारण सुविधाओं के लिये नोटिस, प्रपत्र, लेबल, रैपर या किसी भी दस्तावेज के रूप में विज्ञापन देता है या इलेक्ट्रानिक या प्रिंट रूप में आंतरिक या अन्य मीडिया के माध्यम से विज्ञापन करता है या ऐसे किसी भी काम में शामिल होता है तो उसे दोष मानकर तीन साल की जेल और दस हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।

गर्भावस्था में लिंग की जांच करवाना अपराध है।

ऐसा करने और कराने वाले, दोनों को कानून कड़ी सज़ा देता है।

" बेटा–बेटी एक समान समझ लो तुम ये बात, गर्भावस्था में लिंग जांच का न करो अपराध "

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009)

शिक्षा एक बुनियादी मानव अधिकार है जो पुरुषों और महिलाओं को गरीबी से बाहर निकालने, असमानताओं को दूर करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए काम करता है।

- यह कानून बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के संबंध में शिकायतों की जांच करता है।
- शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की आवश्यक एवं मुफ़्त शिक्षा का प्रावधान है।

1–शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था?

2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों की व्यवस्थित शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम के निर्माण को अनिवार्य करता है जो प्रत्येक बच्चे के पूर्ण विकास को सुनिश्चित करता है। यह बच्चे के ज्ञान, प्रतिभा और समग्र क्षमता में सुधार करने का एक सार्थक प्रयास है।

2–आरटीई अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 06 से 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चे को न स्कूल की फीस देनी होगी, न स्कूल ड्रेस खरीदना होगा, न ही पुस्तकें खरीदनी होंगी, सरकार विद्यालयों में एडमिशन के साथ पुस्तकें, यूनिफार्म और मिड डे मील (दोपहर का भोजन) मुफ्त में मुहैया करायेगी इसके साथ–साथ विद्यार्थियों को न तो अगली कक्षा में जाने से रोका जायेगा, न निकाला जायेगा और न ही बोर्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006
(Child Marriage Prohibition Act, 2006)

बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम सन 1929 में पारित किया गया था। वर्तमान में विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं के लिए 18 वर्ष और बालकों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। भारत में बाल विवाह चिंता का विषय है। बाल विवाह किसी बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है। ऐसा माना जाता है कि कम उम्र में विवाह के कारण लड़कियों को हिंसा, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का अधिक सामना करना पड़ता है। कम उम्र में विवाह का लड़के और लड़कियों दोनों पर शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, शिक्षा के अवसर कम हो जाते हैं और व्यक्तित्व का विकास सही ढंग से नही हो पाता है।

1–बाल विवाह किसे कहते हैं ?

लड़की, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो एवं लड़का जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नही की हो के बीच वैवाहिक सम्बन्ध को बाल विवाह कहते हैं।

2–बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत आरोपी कौन है ?

- पुरुष जो कि 18 वर्ष या अधिक आयु का होते हुए बाल विवाह करेगा,
- व्यक्ति जिसने बाल विवाह सम्पन्न या संचालित किया हो या बढ़ावा या सहयोग दिया हो, व्यक्ति जिसने बाल विवाह का प्रचार या संपन्न होने की सहमति या सहयोग दिया हो ।

3– बाल विवाह के पीड़ित व्यक्तिको क़ानून में न्यायालय से क्या राहतें मिलीं हैं ?

- निवास आदेश – घर में रहने का आदेश
- भरण–पोषण का आदेश
- बालिग़ होने के दो वर्ष तक विवाह को शून्य करने का आदेश

4– बाल विवाह की जानकारी होने पर शिकायत कहाँ की जा सकती है ?

- लिखित रूप में किसी भी पास के स्थानीय थाने पर
- बाल कल्याण समिति (CWC) से
- ज़िलाधिकारी - Special Juvenile Police Unit@Child Welfare Protection Officer
- बाल विवाह निषेध अधिकारी / उनका कोई सहायक अधिकारी
- प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट / मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट
- पीड़ित हेल्पलाइन नम्बरों पर शिकायत कर सकते हैं : 112, 1090,181,1098

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम/क़ानून 2012
(The Protection of Children from Sexual Offences Act 2012)

1– पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) क्या है ?

पॉक्सो (POCSO) जिसका पूरा नाम है The Protection Of Children From Sexual Offences Act

- पॉक्सो एक्ट यौन अपराधो से बच्चों का सरंक्षण करने के लिए बनाया गया है।
- पॉक्सो एक्ट वर्ष 2012 मे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। इस एक्ट में कुल 46 धाराएं है।
- इस एक्ट के जरिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो के प्रति यौन अपराधो से सरंक्षण प्रदान किया जाता हैं।

2– पॉक्सो में पीड़ित कौन है ?

- 18 वर्ष की आयु से कम के बच्चे/बालक/बालिका

3– पॉक्सो के अंतर्गत क्या–क्या अपराध परिभाषित किए गए हैं ?

- यौनिक/गंदी मानसिकता से छूना या छूने का दबाव बनाना
- किसी भी रूप में शारीरिक/यौनिक सम्बंध बनाना या बनवाना
- व्यक्तिगत रूप से, सोशल मीडिया पर, या फ़ोन पर पीछा करना
- पूरी या आधी नग्न तस्वीरें लेना या वीडियो बनाना या दिखाना या इक्कठा करके रखना
- किसी भी हरकतों एवं मौखिक रूप से अश्लील टिप्पणी करना।

4– पॉक्सो के अन्तर्गत आरोपी/अपराधी कौन होगा ?

- किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति (महिला या पुरुष)

5– पॉक्सो की शिकायत कौन दर्ज कर सकता है ?

कोई भी व्यक्ति जिसे घटना की सूचना हो

- बच्चे/बालक/बालिका स्वयं
- बच्चे/बालक/बालिका के माता पिता, मित्र अभिभावक या कोई भी रिश्तेदार

6– पॉक्सो के अंतर्गत कोई अपराध होने पर एक व्यक्तिकी क्या क़ानूनी बाध्यता है ?

- कोई भी व्यक्तिजिन्हें पॉक्सो क़ानून के अंतर्गत, बच्चे/बालक/बालिका के साथ, परिभाषित अपराध होने की जानकारी है, वह व्यक्तिबाध्य है सम्बंधित सूचना की शिकायत दर्ज कराने के लिए।

7– पीड़ित इस क़ानून में परिभाषित अपराधों के कारित होने पर कहाँ शिकायत कर सकता/सकती है ?

- किसी भी पास के स्थानीय थाने पर
- विशेष किशोर पुलिस इकाई (सम्बंधित अधिकारी हर थाने पर नियुक्त होता है)
- बाल कल्याण समिति (CWC) से
- राष्ट्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- ऑन लाइन/इन्टरनेट के माध्यम से विभिन्न पोर्टलों (जन सुनवाई पोर्टल), सम्बंधित कार्यालयों की सरकारी वेबसाइट या उनकी सोशल मीडिया हैंडल पर, ईमेल व फ़ोन व व्हाट्सएप के माध्यम से।
- हेल्पलाइन नंबर पर 112, 1090, 1098, 181

8– पॉक्सो क़ानून में परिभाषित अपराध होने पर शिकायत दर्ज करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखें :

1 सरल भाषा

2 पढ़ा–लिखा नहीं है तो उसकी शिकायत को लिखने हेतु सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए

3 भाषा समझ नही आए उस स्थिति में भी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी इसमें अनुवादक या दुभाषिया सम्बंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाए ।

9– पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) अधिनियम कहाँ पर लागू होता है ?

- यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है, पॉक्सो कनून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई, एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता–पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी उपस्थिति में होती है।

10– पीड़ित से सम्बंधित क़ानूनी प्रक्रिया एवं उसके पुनर्वासन के लिए क़ानून में निम्नलिखित प्रावधान हैं ?

पॉक्सो क़ानून में पीड़ित के मुआवज़े

क़ानूनी प्रक्रिया के दौरान मेडिकल के लिए माता–पिता या अभिभावक या कोई अन्य व्यक्तिजिस पर पीड़ित विश्वास करता/करती हो उसके साथ रहने के लिए प्रवधान है।

11– पॉक्सो एक्ट के तहत सजा का प्रावधान क्या है ?

वर्तमान मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स (पॉक्सो) एक्ट में बदलाव करते हुए इसके अंतर्गत 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के दोषी को मौत की सजा का प्रस्ताव रखा गया, जिसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी देकर लागू किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार द्वारा 'बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम' (पॉक्सो एक्ट) में बदलाव करते हुए दोषी को फांसी की सजा पर एक अध्यादेश जारी किया गया है।

पॉक्सो (POCSO) के पहले के प्रावधानों की बात की जाये तो इसके मुताबिक दोषियों के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद और न्यूनतम सजा 7 साल की कैद थी। इस कानून के दायरे में 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन शोषण व्यवहार शामिल था।

12– पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) में मेडिकल जाँच का प्रावधान ?

यहाँ आपको बता दें इस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस की यह जवाबदेही है कि पीड़ित का मामला 24 घंटो के अन्दर बाल कल्याण समिति के सामने लाया जाए, जिससे पीड़ित की सुरक्षा के लिए जरुरी कदम उठाये जा सके, इसके साथ ही बच्चे की मेडिकल जाँच करवाना भी अनिवार्य है। यह मेडिकल परीक्षण बच्चे के माता–पिता या किसी अन्य व्यक्तिकी उपस्थिति में किया जायेगा जिस पर बच्चे का विश्वास हो, और पीड़ित अगर लड़की है तो उसकी मेडिकल जांच महिला चिकित्सक द्वारा ही की जानी चाहिए ।

13– POCSO Act की प्रमुख विशेषता क्या है ?

- इस अधिनियम में बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है।
- यह अधिनियम किसी भी नाबालिग के साथ सभी यौन गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में रखते हुए यौन सहमति की उम्र को 16 साल से 18 साल तक बढ़ा देता है।
- अधिनियम में यह भी बताया गया है कि यौन शोषण में शारीरिक संपर्क शामिल हो सकता है या शामिल नहीं भी हो सकता है
- यह अधिनियम बच्चे के बयान को दर्ज करते समय तथा विशेष अदालत द्वारा बच्चे के बयान के दौरान जांच एजेंसी द्वारा विशेष प्रक्रियाओं का पालन करता है।
- इस अधिनियम के तहत अगर किसी के साथ यौन अपराध हुआ है तो उसका पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना अनिवार्य है ।
- इस अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं कि एक बच्चा जिसके खिलाफ यौन अपराध किया जाता है की पहचान का मीडिया द्वारा खुलासा नहीं किया जायेगा ।

- बच्चों को पूर्व–परीक्षण और परीक्षण के दौरान अनुवादकों, दुभाषियों, विशेष शिक्षकों, विशेषज्ञों, समर्थन व्यक्तियों और गैर–सरकारी संगठनों के रूप में अन्य विशेष सहायता प्रदान की जाती हैं।
- बच्चे अपनी पसंद या मुफ्त कानूनी सहायता के वकील द्वारा कानूनी प्रतिनिधित्व के हकदार हैं।
- इस अधिनियम में पुनर्वास उपाय भी शामिल हैं, जैसे कि बच्चे के लिए मुआवजे और बाल कल्याण समिति की भागीदारी शामिल है।

उत्तराधिकार अधिनियम 1956
(Hindu Succession Act 1956)

1– महिलाओं के लिए संपत्ति का उत्तराधिकार अधिनियम क्या है ?

संपत्ति का उत्तराधिकार 1956 अधिनियम की धारा 14 किसी भी हिंदू महिला को अपने पति, पिता आदि की सहमति या अनुमति के बिना अपनी संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार देती है।

2– पिता की संपत्ति पर महिलाओं का क्या अधिकार है ?

इस अधिनियम के अनुसार, एक बेटी को पैतृक संपत्ति में कोपार्टनर के रूप में मान्यता दी जाती है, यानी उसका पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार होता है और इस प्रकार एक बेटी का पैतृक संपत्ति में एक बेटे के बराबर हिस्सा होगा।

3– महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है ?

घर या आय की सुरक्षा के बिना, महिलाएं और उनके परिवार गरीबी के जाल में फंस जाते हैं और आजीविका, शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। हाल के वर्षो मे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ने महिलाओं के भूमि और संपत्ति के अधिकारों के महत्व को बार–बार दोहराया है।

4– संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है ?

संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति यह है कि यह एक कानूनी अधिकार है न कि संवैधानिक अधिकार। इसका मतलब यह है कि इसे संवैधानिक संशोधन के बिना कानून द्वारा विनियमित, संक्षिप्त या कम किया जा सकता है।

हिंदू विवाह अधिनियम 1955
(Hindu Marriage Act, 1955)

1– हिंदू विवाह अधिनियम क्या है ?

- हिंदू विवाह अधिनियम भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे 18 मई,1955 को अनुमोदित (अप्रूव) किया गया था।
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में हिंदू विवाह, वैवाहिक अधिकारों की बहाली (रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजूगल राइट्स), न्यायिक अलगाव (ज्यूडिशियल सेपरेशन),तलाक, विवाह की समाप्ति, भरण–पोषण (मेंटेनेंस) और संरक्षकता (गार्जियनशिप) को नियंत्रित करने वाले कानून शामिल हैं, जिसे विधायिका द्वारा पारित किया गया था। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 और धारा 7 हिंदुओं के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी संघ की आवश्यकताओं को संबोधित करती है।

हिंदू विवाह अधिनियम का विस्तार

- यदि विवाह के पक्षकार हिंदू हैं तो उनका आपस में विवाह संपन्न हो सकता है इसके लिए किसी जाति–पाति तथा पंथ विशेष की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- प्राचीन शास्त्रीय हिंदू विवाह समय की मांग के अनुसार जातियों के आधार पर हिंदू विवाह को मान्यता देता था, परंतु आधुनिक हिंदू विवाह जातियों के आधार पर हिंदू विवाह में कोई बाध्यता नहीं रखता है।

2– हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की शर्तें क्या है ?

पक्षकारों का हिंदू होना

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन जो शर्त दी गई हैं, उनमें सबसे पहली शर्त दो हिंदू पक्षकारों का होना अति आवश्यक है। कोई भी विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन तब ही संपन्न होगा जब दोनों पक्षकार हिंदू होंगे।

पक्षकारों की न्यूनतम आयु

हिंदू विवाह के लिए पक्षकारों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। बाल विवाह निरोधक संशोधन अधिनियम के बाद सभी प्रकार के विवाह में न्यूनतम आयु तय कर दी गई है। दो हिंदुओं के मध्य हिंदू विवाह तभी सम्पन्न हो सकता है जब लड़के ने 21 वर्ष की आयु और लड़की ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। यदि किन्हीं पक्षकारों का विवाह इस शर्त की अवहेलना करके कर दिया गया है तो न्यायालय द्वारा इस प्रकार के विवाह को पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा याचिका लाए जाने पर अमान्य घोषित किया जा सकता है।

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण शर्त अधिरोपित की गई है कि हिंदू विवाह तभी संपन्न होगा जब विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से न तो वर की कोई पत्नी जीवित होगी और न ही वधू का कोई पति जीवित होगा ।

दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम 1961
(The Dowry Prohibition Act 1961)

1– अधिनियम के अंतर्गत अपराध क्या है ?

- कसी भी प्रकार से दहेज का लेन–देन इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है।

2– अधिनियम के अंतर्गत दहेज़ क्या है ?

- दहेज का मतलब कोई सम्पत्ति या बहुमूल्य वस्तु देना या माँगना
- विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी पक्षकार के अविभावक को विवाह के समय या पहले या बाद में देने के लिए सहमत होना।

3– अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी कौन होगा ?

- हर वह व्यक्तिजो कि दहेज लेगा या देगा या इसके लिए भड़काएगा। शादी के समय वर या वधू को जो उपहार दिया जाएगा और उसे नियमानुसार सूची में अंकित किया जाएगा वह दहेज की परिभाषा से बाहर होगा।

4– अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित अपराध की शिकायत कहाँ कर सकते हैं ?

- किसी भी पास के स्थानीय थाने पर
- राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग
- राष्ट्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग पीड़ित के नाबालिग़ होने पर

5– अधिनियम के अंदर सजा का प्रावधान क्या है ?

दहेज देने और लेने के लिए दंड धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज देता है या लेता है, दहेज देने या लेने के लिए उकसाता है, तो उसे कम से कम पांच वर्ष की जेल की सजा हो सकती है।

दहेज मांगने के लिए दंड धारा 4 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति दुल्हन या दूल्हे के माता–पिता, रिश्तेदारों या अभिभावकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करता है, तो उसे कम से कम छह महीने से दो साल तक कारावास और दस हजार तक जुर्माने की सजा हो सकती है। अधिनियम के अंतर्गत साबित करना कि अपराध हुआ है, आरोपी की जिम्मेदारी है न कि पीड़िता की ।

भारतीय दंड संहिता, 1860

1– दहेज मृत्यु धारा 304 बी क्या है ?

जहां एक महिला की मत्यु उसकी शादी के सात साल के भीतर किसी भी अप्राकृतिक कारण से या सामान्य परिस्थितियों के अलावा होती है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था, ऐसी मृत्यु को "दहेज हत्या" कहा जाएगा और ऐसे पति या रिश्तेदारों को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा

दहेज हत्या के दोषियों को कम से कम सात वर्ष की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

2– धारा 498–ए क्या है ?

किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूर व्यवहार, उत्पीड़न या मारपीट की स्थिति में संलिप्त पति या रिश्तेदारों को तीन वर्ष तक जेल की सजा हो सकती है तथा वह जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

3– समाज द्वारा दहेज कानूनों का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है ?

एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं इसी तरह हर कानून का उपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी। दहेज विरोधी कानून महिलाओं के लिए तो रामबाण साबित हुए ही हैं साथ ही ये पुरुषों के लिए भी मुसीबत साबित हुए हैं। महिलाओं द्वारा दर्ज किए गए सभी दहेज के मामले सही नहीं होते हैं और दर्ज किए गए 40 प्रतिशत से अधिक मामलों में महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं और परिवार द्वारा इसे एक हथियार के रूप मे इस्तेमाल किया जाता है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

(Protection of Women from Domestic Violence Act 2005)

1– घरेलू हिंसा क्या होती है ?

महिला के साथ उसके ससुराल वालों, रिश्तेदारों (जो साथ रहते हो या रहते थे), परिवार वालों, लिव–इन पार्ट्नर या लिव–इन पार्ट्नर के परिवार वालों (अगर साथ रहते हो या रहते थे) एवं रिश्तेदारों (जो साथ रहते हो या रहते थे) के द्वारा : मार–पीट, गाली–गलौज, ज़बरदस्ती सम्बंध बनाए जाते हो, उसकी पसंद के किसी व्यक्ति से सम्पर्क/बात/शादी न करने दिया जाता हो, बच्चा छीन लिया जाता हो, अपनी पसंद के लड़के से शादी का दबाव बनाया जाता हो या घर से निकाल दिया जाता हो आदि।

2– ये अधिनियम किस–किस पर लागू हो सकता है ?

- 18 वर्ष के ऊपर की महिलाएँ
- 18 वर्ष की आयु से कम का बालक/बालिका

3– इस अधिनियम में महिला किसके ख़िलाफ शिकायत कर सकती है ?

महिला के साथ घरेलू हिंसा होने पर वह ससुराल वालों, रिश्तेदारों (जो साथ रहते हो या रहते थे), परिवार वालों, लिव–इन पार्ट्नर या लिव–इन पार्ट्नर के परिवार वालों (अगर साथ रहते हो या रहते थे) एवं रिश्तेदारों (जो साथ रहते हो या रहते थे) के विरुद्ध शिकायत कर सकती है।

4– घरेलू हिंसा की पीड़िता कहाँ शिकायत कर सकती है ?

- पुलिस, थाने मजिस्ट्रेट/ संरक्षण अधिकारी के समक्ष

- ऑनलाइन/इन्टरनेट के माध्यम से विभिन्न पोर्टलों, हेल्प लाइन नम्बर, सम्बंधित कार्यालयों की सरकारी वेबसाइट या उनकी सोशल मीडिया हैंडल पर, ईमेल व फ़ोन व व्हाट्सएप के माध्यम से ।

5– पीड़िता को इस क़ानून के अंतर्गत न्यायालय से क्या आदेश/राहतें/मिल सकती हैं ?

मार–पीट न करने, गाली–गलौज न करने , ज़बरदस्ती सम्बंध न बनाए जाने, उसे यौनिक रूप से उत्पीड़ित न किए जाने , उसकी पसंद के किसी व्यक्तिसे सम्पर्क/बात/शादी करने के लिए, अपनी पसंद के लड़के से शादी करने, या घर से न निकाले जाने/अथवा घर में निवास करते रहने के लिए साथ हुए उत्पीड़न हेतु मुआवज़ा देने व बच्चे की अस्थायी अभिरक्षा के लिए आदेश मिल सकता है।

6– घरेलू हिंसा के मामले में सजा का प्रावधान क्या है ?

इस अधिनियम के तहत दोषी को तीन साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि इस तरह के अपराध के विरुद्ध शिकायत व्यक्ति द्वारा स्वयं दर्ज करायी जाए पीड़ित की तरफ से कोई रिश्तेदार भी शिकायत कर सकता है।

घरेलू हिंसा

धारा 498–क भारतीय दंड संहिता, 1860

किसी भी महिला के साथ उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा किसी भी तरह का क्रूर व्यवहार गम्भीर बपराध है।

मारना–पीटना, भूखे रहना शारीरिक क्रूरता है।

गाली–गलौज करना, ताने देना, अपमान करना मानसिक क्रूरता है।

पीड़ित महिला या उसके रिश्तेदार तुरन्त थाने में शिकायत दर्ज करें।

क्रूरता के अपराध में कैद और जुर्माना दोनों हो सकते है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013

(The Sexual Harassment Of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013)

'कार्यस्थल यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम' कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से तथा यौन उत्पीड़न की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए बनाया गया है। यह हर महिला को उसकी उम्र या रोजगार की स्थिति पर ध्यान दिए बिना एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल प्रदान करता है।

1– यौन उत्पीड़न क्या है ?

- इच्छा के खिलाफ छूना या छूने की कोशिश करना जिससे वह असहज महसूस करती है, तो यह यौन उत्पीड़न है ।
- शारीरिक रिश्ता/यौन सम्बन्ध बनाने की मांग करना या उसकी उम्मीद करना जैसे यदि विभाग का प्रमुख, किसी जूनियर को प्रमोशन का प्रलोभन देकर शारीरिक रिश्ता बनाने को कहता है, तो यह यौन उत्पीड़न है ।
- यौन स्वभाव की (अश्लील) बातें करना जैसे यदि एक वरिष्ठ संपादक एक युवा प्रशिक्षु जूनियर पत्रकार को यह कहता है कि वह एक सफल पत्रकार बन सकती है क्योंकि वह शारीरिक रूप से आकर्षक है, तो यह यौन उत्पीड़न है।
- अश्लील तसवीरें, फिल्में या अन्य सामग्री दिखाना जैसे यदि आपका सहकर्मी आपकी इच्छा के खिलाफ आपको अश्लील वीडियो या एस.एम.एस. भेजता है, तो यह यौन उत्पीड़न है।
- कोई अन्य गतिविधि जो यौन प्रकृति की हो, जो बातचीत द्वारा, लिख कर या छू कर अन्यथा इशारों में किये गए हों ।

2– पीड़ित कौन है ?

- किसी कार्यस्थल के सम्बन्ध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित (approached) हो या नहीं, जिसके साथ विपक्षी द्वारा लैंगिक उत्पीडन किया गया हो
- किसी निवास–गृह या गृह के सम्बन्ध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसे निवास–गृह या गृह में नियोजित हो और उसके साथ विपक्षी द्वारा लैंगिक शोषण किया गया हो।

3– अधिनियम के अंतर्गत यौन शोषण किसे कहते हैं ?

- महिला के शरीर को छूना या छूने की कोशिश करना या यौन सम्बन्ध की मांग करना।
- यौन सम्बन्धी टिप्पणी/मजाक करना या फब्ती कसना।
- पोर्नोग्राफी यानी अश्लील चित्र या फिल्म दिखाना।
- गैर–वाजिब और बुरा लगने वाला शारीरिक, बातचीत या इशारे में किया गया यौन सम्बन्धित व्यवहार
- महिला को नौकरी के सम्बन्ध में लालच या धमकी देकर यौन सम्बन्ध बनाने के लिये राज़ी करना या ऐसा करने के लिये उसके काम में बेवज़ह दखल देना, दूर्भावनापूर्ण दुश्मनी का वातावरण बनाना या अपमानजनक व्यवहार करना जिससे महिला के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर बुरा असर पड़े।

4– अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित अपराध की शिकायत करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए ?

शिकायत करते समय ध्यान देने योग्य बातें –

- शिकायत में दिन/तारीख़
- समय,
- घटना,
- विपक्षी का नाम,
- सम्बन्धित व्यक्ति (गवाह हेतु) के नाम और
- घटना से होने वाले नुकसान (मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक) में स्पष्टता हो ।

5– शिकायत कौन कर सकता है ?

- किसी भी उम्र की महिला, लैंगिक उत्पीड़न घटना के तीन महीने के अन्दर खुद या उसकी ओर से कोई व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी हो ।
- अगर पीड़ित व्यक्ति अपनी शारीरिक व मानसिक असमर्थता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है–

- उसका नातेदार या मित्र अथवा
- उसका सहकर्मी या
- राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी या
- पीड़ित महिला की लिखित सहमति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है।
- कोई विशेष शिक्षक
- पीड़ित महिला की मृत्यु हो जाती है, वहां एक शिकायत, घटना के जानकार द्वारा उसके विधिक वारिस की सहमति से लिखित रूप में की जा सकेगी।

6– अधिनियम के अंतर्गत शिकायत कहां की जा सकती है ?

- आन्तरिक शिकायत समिति– शिकायतकर्ता, सभी संस्थायें जहां पर कम से कम 10 कर्मचारी हैं,के यहां संस्था द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर शिकायत संस्था के खिलाफ है तो उसके लिये शिकायतकर्ता स्थानीय शिकायत समिति के पास जा सकते हैं।
- स्थानीय शिकायत समिति– प्रत्येक जिला अधिकारी अपने जिले में, जिन संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति नहीं हो (क्योंकि 10 कर्मचारियों से कम लोग हो) या जहाँ शिकायत नियोजक के विरुद्ध हो, वहां स्थानीय समिति का गठन करेंगे ।

नोटः इस अधिनियम के अन्तर्गत महिला, थाने में भी भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत शिकायत दर्ज (प्रथम सूचना रिपोर्ट) करा सकती है।

नोटः जांच के लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को क़ानून के अंतर्गत दी जाने वाली राहतें : – जांच के लम्बित रहने के दौरान, पीड़ित महिला द्वारा किये गए अनुरोध पर :

- पीड़ित महिला या प्रत्याशी का किसी अन्य कार्यस्थल में स्थानांतरण,
- पीड़ित महिला की तीन माह की अवधि तक छुट्टी मंजूर,
- पीड़ित महिला को ऐसी अन्य कोई राहत प्रदान करने का प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत अंकित है।

नोटः राहत स्वरुप दी गयी छुट्टी, उसकी कार्यस्थल पर दी जानेवाली या जिन छुट्टियों की महिला कार्यस्थल पर हक़दार है, उससे अलग होगी ।

7– समिति द्वारा जाँच की प्रक्रिया क्या है ?

- शिकायत प्राप्त होने पर सबसे पहले पीड़िता के कहने पर विपक्षी और पीड़िता के बीच बातचीत का विकल्प पीड़िता को दिया जाएगा।
- अगर पीड़िता द्वारा बातचीत करने से किसी भी प्रकार से मना किया जाता है तो समिति द्वारा पीड़िता एवं विपक्षी द्वारा दर्ज बयानों एवं उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर जाँच की जाएगी।

समिति के पास सिविल प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) के अनुसार पॉवर रहेगी, और मामले की सुनवाई/जांच हेतु समिति निम्न कदम उठा सकती हैः किसी व्यक्ति को हाज़िर करने और सम्मन करने का

- शपथ पर उसकी परीक्षा करने हेतुः

- किसी दस्तावेज को उपलब्ध और पेश किये जाने की अपेक्षा हेतु
- या अन्य कोई भी कदम जो कानून के अन्तर्गत निर्धारित हो।

नोट : विपक्षी के खिलाफ यदि दोष सिद्ध हो जाता है तो, समिति नियोजक से अनुरोध करके रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर कार्यवाही करेगी।

- अगर पीड़िता,समिति के अनुरोध (recommendation) या उसके क्रियान्वयन (implementation) से संतुष्ट नहीं है तो वह 90 दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल/कोर्ट में अपील कर सकती है।

8– दण्ड प्रक्रिया और सजा का प्रावधान क्या है ?

- यदि पीड़ित महिला चाहती है तो मामले को 'कंसिलिएशन'/समाधान' की प्रक्रिया से भी सुलझाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्ष समझौते पर आने की कोशिश करते हैं, परन्तु ऐसे किसी भी समझौते में पैसे के भुगतान द्वारा समझौता नहीं किया जा सकता है ।
- यदि महिला समाधान नहीं चाहती है तो जांच की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे आंतरिक शिकायत समिति को 90 दिन में पूरा करना होगा यह जांच संस्था/ कंपनी द्वारा तय की गई प्रकिया पर की जा सकती है, यदि संस्था/कंपनी की कोई तय प्रकिया नहीं है तो सामान्य कानून लागू होगा, समिति के सामने वकीलों को पेश होने की अनुमति नहीं है।
- जाँच के बाद समिति के सुझाव से नियोक्ता अपने नियमों के अनुसार दोषी पाए गए व्यक्तिपर कार्यवाही कर सकते हैं, नियमों के अभाव में नीचे दिए गए कदम उठाए जा सकते हैं :

1. लिखित माफी
2. चेतावनी, फटकार या निंदा
3. पदावनति या वेतन वृद्धि रोकना
4. परामर्श या सामुदायिक सेवा की व्यवस्था करना
5. नौकरी से निकाल देना
6. वेतन से पीड़ित महिला को देय मुआवजे की कटौती

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम
Medical Termination of Pregnancy Act, 1971

Medical Termination of Pregnancy Act

1– इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है ?

- आज भी पचास फीसदी गर्भपात असुरक्षित होते है जिससे महिलों मे गंभीर परिणाम जैसे संक्रमण , बाँझपन , अत्यधिक खून आना , खून की कमी, इत्यादि हो सकते है। कभी कभी गर्भपात किये जाने से बच्चेदानी में छेद एवं आतों में नुकसान से महिला की जान भी जा सकती है। इसके कारण आज भी मातृत्व मृत्यु 13% है।

2– गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम क्या है ?

- गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 भारत सरकार का एक अधिनियम है जो कुछ विशेष परिस्थितियों में अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने की अनुमति देता है।
- यह अधिनियम सन 1971 में बनाया गया था तथा वर्ष 2002 में कानून में आवश्यक बदलाव किये गये। इस कानून के अन्तर्गत महिलायें कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकारी अस्पताल में या सरकार की ओर से अधिकृत किसी भी चिकित्सा केन्द्र में अधिकृत व प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा गर्भपात करा सकती है।
- गर्भ–समापन के लिये घर के किसी सदस्य की लिखित इजाजत की जरूरत नहीं होती है, लेकिन 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं अथवा जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मासनसिक रूप से स्वस्थ्य न हो, यदि कोई नाबालिग लड़की की शादी हो गई हो,को माता–पिता या पति की लिखित इजाजत की जरूरत होती है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं का केवल स्वयं की लिखित स्वीकृति ही देनी जरूरी है।

3– गर्भ समापन की परिस्थितियां क्या होनी चाहिए ?

- . गर्भ के बने रहने से गर्भवती स्त्री का जीवन जोखिम में पड़े अथवा उसके शारिरीक या मानसिक स्वास्थ्य को गम्भीर क्षति का जोखिम हो।
- यह कानून 24 सप्ताह के बाद केवल उन मामलों में गर्भपात की अनुमति देता है जहां एक मेडिकल बोर्ड पर्याप्त गर्भ की असामान्य स्थितियों की पुष्टि करता है।

- यदि इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरकि या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित होगा कि वह गम्भीर रूप से विकलांग हो, तो वह गर्भ सरकार द्वारा अधिकृत व पंजीकृत चिकित्सा–व्यवसायी द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
- यदि गर्भ बलात्कार के फलस्वरूप ठहरा हों या महिला विक्षिप्त अवस्था में हों।

4– इस अधिनियम के अंतर्गत गर्भ समापन में किन जरुरी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए ?

गर्भपात कराने वाली माताओं को निम्न सावधानियां रखनी चाहिये–

- सरकारी अस्पताल अथवा सरकार द्वारा पंजीकृत, मान्यता प्राप्त अस्पताल के अधिकृत डॉक्टर से ही सेवायें लें। किसी भी स्थिति में नीम हकीम के पास न जायें।
- बार–बार गर्भपात करवाना हानिकारक है। इसकी वजह से अगले बच्चे के जन्म के समय रक्तस्राव ओर दर्द की तकलीफ हो सकती है। इसे परिवार नियोजन का साधन नहीं समझना चाहिए।
- यदि गर्भ समापन जरूरी है तो इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। 12 सप्ताह के बाद गर्भपात कराया जाना जोखिमपूर्ण होता है हालांकि गर्भपात नए बदले गए कानून के अनुसार 24 सप्ताह तक कराया जा सकता है।

5– कानून का उल्लंघन व सजा का प्रावधान क्या है ?

चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम 1971 एवं संशोधित अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार इस कानून का उल्लंघन करने पर 2 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। कुछ परिस्थितियां जिन्हे अधिनियम के अन्तर्गत कानून का उल्लंघन माना गया है, निम्न प्रकार हैः–

- गैर पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भ समापन किया जाना।
- सरकारी अस्पताल या सरकार की ओर से अधिकृत चिकित्सा केन्द्रों के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान पर गर्भ समापन किया जाना।
- यह कानून 24 सप्ताह के बाद केवल उन मामलों में गर्भपात की अनुमति देता है जहां एक मेडिकल बोर्ड पर्याप्त गर्भ की असामान्य स्थितियों की पुष्टि करता है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम 2015
(The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act)

1– किशोर न्याय बालको की देखरेख और सरंक्षण अधिनियम क्या है ?

इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की कोई भी लड़की–लड़का किशोर की श्रेणी में आता है। इसके अनुसार, नाबालिग बच्चों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है

- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे
- ऐसे जरूरतमंद बच्चे जिन्हें संरक्षण व देखरेख की जरुरत है

ऐसे बच्चों के लिए एक विशेष कानून का प्रावधान किया गया है

2– कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए

ऐसे बच्चों को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत 'विधि विवादित बच्चों' के रूप में परिभाषित किया गया है। तथा ऐसे अपराधों को छोटे, गंभीर व जघन्य अपराधों की श्रेणी में बांटा गया है। जघन्य अपराधों के मामलों में 16 से 18 वर्ष की आयु के बालक को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक आकलन करने के बाद वयस्क माना जा सकता है।

3– देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे–

इस श्रेणी में ऐसे बच्चे आते हैं, जो

- बेघर हैं
- जो उस समय लागू श्रम कानूनों का उल्लंघन करता हुआ मिला हो, भीख मांगते हुए या सड़कों पर रहते हुए मिला हो।
- जिसके माता–पिता नहीं हैं और उसकी देखभाल को कोई भी इच्छुक नहीं है, अथवा जिसके माता–पिता ने उसे छोड़ दिया है या समर्पित कर दिया है
- जो लापता है अथवा घर से भाग गया है।
- विवाह योग्य आयु के होने से पहले जिसका विवाह होने का जोखिम हो।

- जिसके माता–पिता अथवा संरक्षक हैं और वे माता–पिता या संरक्षक उसकी देखभाल करने में असमर्थ अथवा अक्षम पाए गए हैं ।

4– बच्चे की उम्र का प्रमाण लगाने के लिए क्या दस्तावेज़ ज़रूरी हैं ?

- स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र स्कूल या सम्बन्धित बोर्ड से शैक्षिक प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो नगर निगम या पंचायत या नगर पालिका द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र

- उपरोक्त दोनों में से कोई भी नहीं है तो फिर औसिफिकेशन टेस्ट (Ossificationn Test) जिसमें रीढ़ की हड्डियों की जाँच होती है या किसी अन्य चिकित्सीय टेस्ट से उम्र पता की जा सकती है ।

वात्सल्य के बारे में.....

वात्सल्य सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम–1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था है जिसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, साफ सफाई एवं स्वच्छता, जन्म पंजीकरण, कन्या भ्रूण हत्या, बाल अधिकार, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन इत्यादि मुद्दों पर पिछले 27 वर्षो से उत्तर प्रदेश मे जन जागरूकता, क्षमता निर्माण तथा पैरवी का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा अध्ययन, पत्र–पत्रिका का प्रकाशन, प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा भिन्न–भिन्न विषयों पर आई0ई0सी0 का निर्माण एवं वितरण का कार्य किया जाता है।

VATSALYA

सी-377, चर्च रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ
फोन: 0522-2351130